[illegible] पत्रावली [illegible] के [illegible]

[illegible] में पेश हुई। प्रमाणित [illegible] पत्रावली

का उपखण्ड अधिकारी का अवलोकन किया

गया। पत्रावली के [illegible]

वादीगण अनुसूचित जाति [illegible] है

प्रतिवादी अनुसूचित जाति [illegible]

वादी [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]

[illegible]

प्रतिवादी [illegible] ने [illegible]

13-6-1974 में [illegible] में [illegible]

[illegible] में [illegible]

अपने नाम [illegible]

[illegible] है। उक्त विक्रय-पत्र

[illegible] विक्रय-पत्र के आधार पर [illegible]

अवैध व प्रभावशून्य विक्रय-पत्र [illegible]

[illegible] भूमि का आधिपत्य

[illegible] में अनुतोष चाहा गया है।

उपरोक्त विक्रय-पत्र को अवैध व प्रभावशून्य

घोषित [illegible]

[illegible] विक्रय-पत्र को प्रभावशून्य

घोषित [illegible]

[illegible] आधिपत्य

[illegible] है।

वादीगण ने पूर्व [illegible] द्वारा अवैध बेचान

[illegible] भूमि

की धारा 175 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है

कलक्टर

टोंक

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में सिवाय चक घोषित होने का प्रावधान है। वादी गण के इस वादग्रस्त भूमि की अधिघोषणा [illegible] संवैधानिक एवं विधि विरुद्ध है। राजस्व [illegible] [illegible], संवैध, [illegible] घोषित करने का [illegible] [illegible] की धारा [illegible] [illegible] किया जाता है। [illegible] पर्चा [illegible] जारी हो। [illegible] फैसला [illegible] [illegible] हो। आज दिनांक [illegible] राजस्व लोक अदालत [illegible] में लिख- [illegible] के समक्ष [illegible] सुनाया गया।	

[signature]
सहायक कलक्टर
टोडा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
टोडा, जिला टोंक